



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1407]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2015/आषाढ़ 10, 1937

No. 1407]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2015/ASHADHA 10, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2015

**का.आ. 1788(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 912(अ), तारीख 21.04.2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. **प्रारम्भ:** ये संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. सारणी के पश्चात् तथा टिप्पणियों से पहले निम्नलिखित पैरा अंतः स्थापित किया जाता है:  
“परियोजना के सम्पूर्ण खण्ड के लिए फीस घोटी के पास 455.485 कि.मी. पर एक ही स्थान पर संग्रहीत की जाएगी और इस खण्ड में कोई अन्य टोल प्लाजा नहीं होगा।”
3. टिप्पणियों 1 (iii) में, “उक्त सेक्शन के केवल एक भाग” शब्दों के पश्चात् “एक से अधिक पथकर प्लाजा पार किए बिना” शब्दों का लोप किया जाएगा।
4. टिप्पणियों 1 (iv) में, “सामान्य क्रम में उक्त सेक्शन” शब्दों के पश्चात् “एक से अधिक पथकर प्लाजाओं को पार किए बिना” शब्दों का लोप किया जाएगा।
5. टिप्पणी 5 का लोप किया जाएगा।
6. अनुसूची की टिप्पणी 6 को नीचे दिए गए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**निम्नलिखित को :**

रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायात और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्नलिखित छूट दरों से अधिक फीस संग्रहीत नहीं करेगा, अर्थात्:—

(क) स्थानीय निजी यातायात : विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान को लागू फीस का साढ़े बारह प्रतिशत।

(ख) स्थानीय वाणिज्यिक यातायात : विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान को लागू फीस का पच्चीस प्रतिशत।

**इस रूप में पढ़ा जाए :**

रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायात और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्नलिखित छूट दरों से अधिक फीस संग्रहीत नहीं करेगा, अर्थात्:—

- (क) स्थानीय निजी यातायात : विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान को लागू फीस का पच्चीस प्रतिशत;  
 (ख) स्थानीय वाणिज्यिक यातायात : विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान को लागू फीस का पचास प्रतिशत।

[फा. सं. भाराराप्रा / 13013 / 508 / 09-10 / सीओ / जीसी नासिक (वदापे-गोंडे)बीओटी]  
 अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2015

**S.O. 1788(E).**— In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) No. S.O. 912(E), dated 21.04.2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:

1. **Commencement:** These amendments shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
2. After Table and before Notes, the following Para is inserted:  
 “The Fee shall be collected at one location, km 455.485 near Ghoti for the total Project stretch and there shall be no other Toll Plaza in this stretch.”
3. In Notes 1 (iii), after the words “part of the said section”, the words “without crossing more than one of the toll plazas” shall be omitted.
4. In Notes 1 (iv), after the words “routinely on the said section”, the words “without crossing more than one of the Plazas” shall be omitted.
5. Note 5 shall be omitted.
6. Note 6 of the Schedule shall be substituted as under:

#### For

The Concessionaire shall not collect fees from Local Personal Traffic and Local Commercial Traffic in excess of the following discounted rates, namely:—

- (a) Local Personal Traffic: Twelve and half per cent of the fee applicable for the specific category of vehicle;
- (b) Local Commercial Traffic: Twenty Five per cent of the fee applicable for the specific category of vehicle.

#### As

The Concessionaire shall not collect fees from Local Personal Traffic and Local Commercial Traffic in excess of the following discounted rates, namely:—

- (a) Local Personal Traffic: Twenty Five per cent of the applicable fees for the specific category of vehicle.
- (b) Local Commercial Traffic: Fifty per cent of the applicable fees for the specific category of vehicle.

[F. No. NHAI/13013/508/09-10/CO/GC Nashik (Vadape-Gonde) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.